

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति –2016

प्रारूप संस्करण 1.0

1. परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश द्वारा अवस्थापना एवं मानव पूँजी के विकास तथा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है, ताकि आईटी-बीपीएम उद्योग के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित हो सके। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में सम्पूर्ण प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार किये जाने के उद्देश्य से राज्य में आईटी नीति-2012 प्रख्यापित की गयी, जिसके अन्तर्गत आईटी हब के रूप में नोएडा/ग्रेटर नोएडा के अनुभवों का लाभ लेते हुए प्रदेश के सोपान-2 (Tier-II) एवं सोपान-3 (Tier-II) के नगरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

पिछले दशक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर तथा तत्सम्बन्धी सेवाओं के क्षेत्र में भारत की सफलता को विश्वस्तरीय मान्यता मिली है। नैसकॉम के अनुसार आईटी-बीपीएम उद्योग राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक सापेक्षिक हिस्सेदारी के रूप में लगभग 9.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष-2014 में भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग द्वारा लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया गया तथा 13 प्रतिशत की विकास दर से वित्तीय वर्ष-2015 में यह राजस्व अर्जन लगभग 150 अरब अमरीकी डॉलर अनुमानित है। लगभग 35 लाख कर्मचारियों वाला आईटी-बीपीएम उद्योग देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सेवायोजक बन गया है। इसके अतिरिक्त सेवा निर्यात के क्षेत्र में इस उद्योग की 38 प्रतिशत की बड़ी साझेदारी है। उद्यमिता प्रोत्साहन की दृष्टि से 3100 से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयों की उपस्थिति के साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया है। भारत आईटी-बीपीएम सेवाओं के वैश्विक हब के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति का कार्यान्वयन : अनुकूल वातावरण सृजन हेतु नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश में, नीति कार्यान्वयन इकाई गठित की गई है जिसके प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम औद्योगिक परामर्शदात्री संस्था केपीएमजी को नियुक्त किया गया है। **लखनऊ में 100 एकड़ क्षेत्र में पीपीपी के आधार पर आईटी सिटी** की स्थापना इस नीति के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियों में से एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस सिटी में 5000 छात्र-छात्राओं को प्रवेश की वार्षिक क्षमता वाले अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। न्यूनतम 1500 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किये जाने वाले इस आईटी सिटी से लगभग 75000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। **आगरा, मेरठ, गजियाबाद, कानपुर तथा गोरखपुर में आईटी पार्क** की स्थापना एक अन्य पहल है जो प्रक्रिया में है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गाजियाबाद और लखनऊ में प्रथम शासकीय इन्क्यूबेटर, आईटी उपवन स्थापित किये गये हैं। राज्य के 13 नगरों में रूरल इन्क्यूबेशन-कम-ट्रेनिंग सेंटर्स, ई-सेतु (ई-स्किल इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग यूनिट), स्थापित किये जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण, लखनऊ तथा अन्य

नगरों में मेट्रो रेल, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना, ट्रांस-गंगा परियोजना, 13 स्मार्ट नगरों का विकास आदि प्रमुख हैं।

ई-गवर्नेंस : राज्य सरकार द्वारा जन सेवा केंद्र, लोकवाणी, ई-सुविधा केंद्र जैसे 20000 से अधिक कॉमन सर्विस डिलीवरी गेटवे स्थापित किये गये हैं जिनके माध्यम से जन-सामान्य को दूरस्थ क्षेत्रों में भी उनके द्वार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विधि से 5.6 करोड़ ई-सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसेकि गाजीपुर जैसे सुदूर क्षेत्र में 55 लाख ई-ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। मिशन मोड परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार ने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र इत्यादि जैसी जन-केंद्रित सेवाओं के लिए स्वघोषणा का प्राविधान किया जिसे प्रदेश के नागरिकों द्वारा अत्यन्त सराहा गया।

विश्व का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम : प्रदेश को 'ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड : लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम' तथा ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों एवं कार्यक्रमों में ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

एम-गवर्नेंस के भविष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन्स के माध्यम से सरकारी सेवाओं को प्रोत्साहित किया है। फलस्वरूप एम-सेहत (अगली पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सुदृढीकरण तथा मातृ-शिशु की मृत्यु-दर को कम करना), एम-स्वास्थ्य (मातृ, नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में तेजी से कमी करना), यूपीवन सरीखे मोबाइल एप्लिकेशन्स को विकसित कर उपयोग में लाया गया है।

प्रचुर कुशल जनशक्ति : अनेक तकनीकी एवं मानव-शक्ति उत्कृष्टता केन्द्रों (manpower centres of excellence) की उपलब्धता, राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना हेतु एक आदर्श स्थल बनाती हैं। प्रदेश में संचालित 700 प्रोफेशनल संस्थाओं में से आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी इलाहाबाद, आईटी-बीएचयू तथा आईआईएम लखनऊ सहित, संस्थाएं इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली कुशल जनशक्ति प्रदेश का बहुत बड़ा आधार है जिसके फलस्वरूप राज्य, ज्ञान-आधारित क्षेत्रों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। विशालतम तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक, डॉ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से 300 से अधिक इंजीनियरिंग संस्थाएं सम्बद्ध हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 की सफलता तथा बदलते हुए व्यावसायिक परिदृश्य को देखते हुए एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के अन्तर्गत की गयी पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को और अधिक सुदृढता प्रदान करना, ई-गवर्नेंस एवं एम-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से नागरिक सेवाओं में अभिवृद्धि करना तथा स्टार्टअप्स एवं नवोदित उद्यमियों को प्रदेश में पुष्पित-पल्लवित होने पर विशेष बल देना है।

2. परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य

2.1 परिकल्पना

"उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास करते हुए उच्च जीवन-स्तर वाले (High Quality of Life) स्पंदनशील समाज (Vibrant Society) का निर्माण"

2.2 लक्ष्य

राज्य का मिशन है :

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के क्षेत्र में निवेश हेतु, उत्तर प्रदेश को भारत के उच्च वरीयता वाले (preferred destination) राज्य के रूप में स्थापित करना।
- उत्तर प्रदेश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता को उत्तोलक (to leverage IT) के रूप में अभिप्रेरित करना।
- समुदायवाद के घटकों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए प्रदेश में ऐसे सुसम्बद्ध समाज (connected communities) का निर्माण करना जहाँ पर सुदृढ़ आर्थिक विकास (sustainable economic growth) और उत्कृष्ट जीवन (enhance the quality of life) के लक्ष्य पूर्ण हो सकें।

2.3 उद्देश्य

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की कम्पनियों हेतु उत्तर प्रदेश को निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल (attractive investment destination) बनाना जहाँ एक सौहार्द्रपूर्ण तथा उद्योग मित्रवत् वातावरण उपलब्ध हो।
- आईटी सम्बन्धी अवस्थापना के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/सू0प्रौ0 पाक्स के विकास को बढ़ावा देना।
- विश्वस्तरीय ICT (Information & Communication Technology) अवस्थापना सुविधाओं का विकास ताकि व्यापार एवं उपभोक्ताओं को निरन्तर सम्बद्ध करने का आधार मिल सके और ICT ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं, सरकार, नियामकों तथा उपभोक्ताओं को लेकर गठित एक स्वस्थ परिस्थिकीय (vibrant ecosystem) व्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें भी सुलभ हों।

- सभी क्षेत्रों से समस्त वर्गों के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को विकास का साधन बनाना

संकेंद्रित क्षेत्र (Focus areas)

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 का निरूपण उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि अनुकूल नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत सर्वोत्तम प्रोत्साहन देकर स्टार्ट अप/उद्यमियों, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग) एवं वृहद सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों सहित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग के समस्त स्तरों को सुविधाप्रद बनाया जा सके।

3. कार्य योजना रणनीति

यह नीति, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा, एवं ट्रांस यमुना क्षेत्र सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016, एक चार सूत्रीय रणनीति के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी :

1. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना का विकास
2. मानव पूँजी/कौशल विकास
3. प्रोत्साहन (Incentives)
4. उद्योगों को सहायता (Industry Facilitation)

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग को पुनः आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना के निर्माण, मानव पूँजी के विकास हेतु बेहतर अवसरों की उपलब्धता, सर्वोत्तम वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा सबसे बढ़कर नीति के क्रियान्वयन हेतु बेहतर शासन प्रणाली पर बल दिया गया है।

3.1 : सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना विकास

3.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स को प्रोत्साहन

- अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना जैसी उत्कृष्ट सू0प्रौ0 अवस्थापनाओं का सृजन और उन्नयन ताकि सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों हेतु 'रेडी टू मूव इन' अवस्थापना सुविधाओं पर बल दिया जा सके। प्रदेश में आईटी इकाइयों के निर्माण आधार को सुविधाप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स (चार मॉडल) हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
- किसी सूचना प्रौद्योगिकी नगर के लिए 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें प्रक्रिया-परिचालन (processing) एवं प्रक्रिया-रहित (non-processing) क्षेत्रों को लगभग 60:40 के अनुपात में उपयोग किया जायेगा। प्रक्रिया परिचालन क्षेत्र में मात्र सू0प्रौ0 इकाइयों यथा सू0प्रौ0 कम्पनी, बी.पी.ओ., के0पी0ओ0 आदि स्थित रहेंगे तथा प्रक्रिया रहित क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, जन-उपयोगिता कार्यालय/सुविधा केन्द्र/ व्यवसायिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य-रक्षा एवं खुले-स्थान की उपलब्धता रहेगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का निर्माण न्यूनतम 15000 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल (floor area) में होता है। इन पार्कों के परिसर में जनसुविधा कार्यालयों/ सुविधा केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को आबंटित किया जाने वाला (allotted) क्षेत्र, आबंटन योग्य (allocable) क्षेत्रफल का 75प्रतिशत होगा। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवस्थापना सुविधायें आईटी सिटी के समान होती हैं जैसेकि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी, वाई-फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा इत्यादि। आईटी पार्क, आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका अधिकांश भाग आईटी गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होता है।

3.1.2 सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी)

- सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/पार्क्स के विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न पीपीपी मॉडल पर बल दिया जायेगा।
- शासन द्वारा पीपीपी परियोजनाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि ऐसे विश्वस्तरीय स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सुविधाओं को लाया जा सके जो आईटी क्षेत्र में निवेश के प्रयासों में पूरक बन सकें।

3.1.3 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर)

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैनुयुफैक्चरिंग (ईएचएम) उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र नीति-2008 (ITIR Policy.2008) अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएगी। सम्प्रति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आईटीआईआर की स्थापना प्रस्तावित है।

3.1.4 सू0प्रौ0 कार्पस की स्थापना

- प्रत्येक विभाग अपने आयोजनागत बजट का न्यूनतम दो प्रतिशत अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित धनराशि सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग (IT Applications) के लिए अलग रखेगा। इन धनराशियों को एक साथ मिलाकर पृथक बजट मद में रखा जायेगा जिसका संचालन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली सशक्त समिति के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में आईटी विभाग द्वारा किया जायेगा।
- अलग-अलग विभाग अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के रखरखाव एवं उपभोग्य सामग्री की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि अपने पास रखेंगे। विभाग अपनी परिकल्पित आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि भी चिन्हित करेंगे।
- एकत्रित धनराशि का उपयोग ई-गवर्नेंस, प्रशासन में सू0प्रौ0 नवाचार (IT Inovations in Administration), सू0प्रौ0 समर्थित संसाधन इष्टतमीकरण (IT supported resource optimization), मिशन मोड परियोजनाओं, निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision support systems), एमआईएस, इन्टरनेट तथा अन्य विभागीय एप्लिकेशन्स एवं एनेब्लिंग टेक्नोलॉजीज के प्रतिकृति योग्य व पुनः उपयोग होने वाले (replicable and reusable) मॉडलों के विकास पर किया जायेगा। ऐसी इकाइयां जो प्रदेश में स्थित हैं उन्हें सॉफ्टवेयर एवं कौशल विकास कार्य आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश के ब्रांड प्रमोशन के लिए धन की आवश्यकताओं को भी आईटी कार्पस से पूरा किया जायेगा।

3.1.5 ई-गवर्नेंस पहल एवं जन केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी

- राज्य सरकार उन प्रासंगिक सेवाओं को चिन्हित करेगी जिन्हें विकसित किया जाना है।

- **नागरिक सेवा डिलीवरी :** ई-सेवाओं की व्यवस्था को इंटरनेट तथा जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई-सुविधा आदि जैसे कॉमन सर्विस डिलीवरी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य वहन करने योग्य ई-सेवाओं को सुगम बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण पुष्पित-पल्लवित करना होगा।
- **मिशन मोड परियोजनाएँ:** उत्तर प्रदेश शासन मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) जैसेकि ई-डिस्ट्रिक्ट, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS), तथा पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य विभागों की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन/संचालन को सुगम और सुविधाप्रद बनाएगी।
- **संयोजकता :** राज्य सरकार नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/भारतनेट के अतिरिक्त नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) पर बल देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में संचार एवं संयोजकता में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। मौजूदा यूपीस्वान (UPSWAN) संयोजकता का एनओएफएन/भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक विस्तार किया जायेगा।
- **राज्य डाटा केन्द्र (State Data Centre) 2.0 :** अत्याधुनिक यूपी-एसडीसी 1.0 (स्टेट डेटा सेंटर) को केंद्रीय डेटा कोष के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे राज्य के समस्त विभाग पब्लिक डोमेन सूचनाओं के 24x7 के, पूर्ण क्षमता से उपयोग के लिए जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश का, आईएसओ 27001 प्रमाणित डेटा सेंटर विभिन्न विभागों को साझी अवस्थापना के साथ-साथ को-लोकेटेड होस्टिंग मॉडल उपलब्ध कराता रहेगा ताकि वे अपनी एप्लिकेशन्स और सेवाओं को, कुशल प्रबंधन हेतु शासन के स्वामित्व वाली पूर्णतया सुरक्षित सुविधा के माध्यम से, संसाधनों का समुचित एवं यथेष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए होस्ट कर सकें। मांग पर, आईटी अवस्थापना तथा कॉमन एप्लिकेशन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअलाइजेशन तथा क्लाउड कंप्यूटिंग को उपयोग में लाया जा सकेगा। राज्य द्वारा एक केंद्रीकृत हरित डेटा सेंटर (एसडीसी 2.0) विकसित करने की योजना है जो अपने स्थापना के दिन से क्लाउड रेडी होगा तथा उस पर एप्लिकेशन्स और सेवाओं की होस्टिंग "पे ऐज पर यूज" मॉडल पर आधारित होगी।
- **विश्वसनीयता का सृजन :** शपथ पत्र तथा नोटरी से सत्यापन को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इनके स्थान पर स्व-घोषणा की प्रक्रिया प्रचलित की जाएगी। अभिलेखों के स्थान पर सेवा डिलीवरी के लिए डेटासेट्स का उपयोग किया जायेगा।
- **वर्चुअल आईटी संवर्ग का गठन :** विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रयासों को बनाये रखने के लिए कुशल आईटी जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में वर्चुअल आईटी संवर्ग का गठन किया जायेगा जो पूरे प्रदेश में किये जा रहे आईटी प्रयासों को

परिकल्पित करने, डिजाइन करने, अनुश्रवण एवं प्रबंधन कार्यों में विभिन्न विभागों की सहायता करेगा।

- **ई-ताल** : समस्त ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स को ई-ताल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर) से एकीकृत किया जायेगा।
- **मेगा कॉल सेंटर** : प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित जन केंद्रित योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों से निष्पक्ष फीडबैक लेने के लिए राज्य में एक मेगा कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस मेगा कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य न केवल नागरिकों को उनके हित में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना, अपितु बाधाओं का निराकरण भी सम्मिलित है।
- **कम कागज के उपयोग से कागज-विहीन होने की प्रक्रिया** : विभिन्न विभागों में संचालनात्मक कुशलता में सुधार लाने (improving the operational efficiency), प्रतिवर्तन समय में कमी लाने (reduce turnaround time), सिटीजन चार्टर की मांगों को पूरा करने, पारदर्शिता तथा राज्य के विभागों के उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि के लिए ई-कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में इस एप्लीकेशन का उपयोग अवकाश स्वीकृति जैसे अंतःविभागीय कार्यों और सेवाओं के लिए किया जायेगा। द्वितीय चरण में इस एप्लीकेशन का क्रियान्वयन अंतर-विभागीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु किया जायेगा।
- **ई-विलेज** : शासन से नागरिक (जी 2 सी) स्तर तक सर्विस डिलीवरी पहल के अन्तर्गत "ई-विलेज" विकसित किया गया है जोकि विभिन्न सेवाओं/प्रमाण पत्रों के ओवर द काउंटर (ओटीसी) डिलीवरी सिस्टम वितरण को सक्षम बनाने के लिए विकसित 2-1 'इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट' मॉडल पर आधारित है। कुछ चयनित ग्रामों में शासकीय सेवाओं की ओवर द काउंटर डिलीवरी करने का प्रयास किया जायेगा ताकि नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता शीघ्रता और कुशलतापूर्वक सुनिश्चित की जा सके।
- **स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा/आईटी साक्षरता** : राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को स्कूल में कम्प्यूटर की बेसिक शिक्षा भी मिले। समस्त स्कूली अध्यापकों /अध्यापिकाओं को कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **वाई-फाई** : राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी सम्पूर्ण प्रदेश के निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, व्यावसायिक केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वाई-फाई समर्थ बनाया जाये।

- **ई-गवर्नेंस केंद्र** : आईटी/ई-गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के कार्यान्वयन के लिए ई-गवर्नेंस केंद्र (सीईजी)/ राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी) नोडल संस्था होंगे। सीईजी/एसईएमटी सम्बंधित विभाग की परियोजना क्रियान्वयन टीम के सहयोग से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नए प्रयास करेगा।

3.1.6 सरकारी सूचनाओं का डिजिटलइजेशन

- सरकारी गजट अधिसूचना, शासनादेश, अधिनियमों, नियमावली, परिपत्रों, नीति तथा कार्यक्रम अभिलेख जैसी समस्त पब्लिक डोमेन सूचनाओं का डिजिटलीकरण किया जायेगा और उन्हें चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस के लिए वेब पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.7 साइबर सुरक्षा

- गोपनीयता (Confidentiality), सत्यनिष्ठा (Integrity), आंकड़ों की सुरक्षा (Data Security) तथा समझौतों के अप्रकटीकरण (Non-Disclosure of Agreements) से जुड़े अपराधों पर कानून के अनुसार विचार किया जायेगा और उनकी संवीक्षा की जायेगी।
- ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जागरूकता पैदा करेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग एवं अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त सहयोग स्थापित करके साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान संचालित करेगी।
- राज्य सरकार के समस्त विभागों/संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना (Critical Information Infrastructure), चिन्हित की जाएंगी। विभागों द्वारा चयनित की गई महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर एवं प्रत्येक विभाग और संगठन स्तर पर मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नामित/ चयनित किये जायेंगे। इस प्रयोजन हेतु नीति-निर्माण (Policy designing) तथा निर्णय-निर्धारण (decision making) से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया जायेगा।

3.1.8 आईटी सेवाओं के नवाचार एवं शोध व डिजाइन हेतु उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना

- उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में बिगडेटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि जैसे उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी ताकि आईटी उद्योग के

प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा अथवा आईआईएम लखनऊ, आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी इलाहाबाद, आईटी-बीएचयू जैसी अग्रणी संस्थाओं तथा अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थाओं के सहयोग से शोध एवं अभिकल्प (Research & Design), नवाचार (Innovation), तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिल सके। इस व्यवस्था से उत्कृष्टता के केन्द्रों को विचारों के आदान-प्रदान में सुविधा होगी तथा आईटी विशेषज्ञों के मध्य बड़े पैमाने पर सहयोग हो सकेगा।

3.2 मानव पूँजी/कौशल विकास

3.2.1 क्षमता विकास

- क्षमता विकास कार्यक्रमों को कौशल विकास मिशन तथा भारत सरकार द्वारा घोषित इसी प्रकार की योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश शासन मौजूदा कौशल विकास संस्थानों यथा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक को बड़ी आईटी कंपनियों से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि उनकी सुविधाओं तथा दक्षता में अभिवृद्धि हो सके।

3.2.2 कौशल विकास/इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों, उद्योग संघों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से की जाएगी।
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईटी उपवन (ITUPVAN) की पहल पर राज्य सरकार ने गाजियाबाद और लखनऊ में 'प्लग एन प्ले' मॉडल पर आधारित इन्क्यूबेशन सेंटर की सुविधा प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य में कौशल विकास तथा उद्यमिता समर्थित वातावरण उत्पन्न करने के लिए ई-सेतु (e-SETU) के रूप में ग्रामीण इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना भी 13 जिला स्तरों पर अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों के सहयोग से की जा रही है। नीति के अन्तर्गत इन केन्द्रों का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाना प्रस्तावित है।

3.2.3 अंकीय विभेद सेतुबन्ध (Bridging the Digital Divide)

- यह सर्वमान्य है कि उत्तर प्रदेश में समाज के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग अलग है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित कर रही है और डिजिटल सूचनाओं से उनका सशक्तीकरण कर रही है।

3.2.4 ई-गवर्नेन्स के लिए पुरस्कार

- प्रभावी जन-सेवा डिलीवरी प्रणाली (Effective Public Service Delivery System), शासकीय प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण (Government Process Reengineering), वेबसाइट्स/वेब पोर्टल्स, एम-गवर्नेन्स, सोशल मीडिया के अनूठे उपयोग (Innovative Use of Social Media), विश्लेषणात्मक एवं निर्णय तंत्र (Analytical and decision support systems) जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने हेतु एक पुरस्कार कार्यक्रम संस्थित किया जायेगा। ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के अनुकरणीय योगदान को भी यथोचित मान्यता दी जायेगी।

3.2.5 एम-गवर्नेन्स को प्रोत्साहन

- सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन्स तथा जन-केन्द्रित सेवाओं के विकास के माध्यम से एम-गवर्नेन्स को बढ़ावा दिया जायेगा। एम-सेहत, एम-स्वास्थ्य, यूपीवन (UPOne), यूपीबस (UPBUS) इत्यादि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन्स राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित कर व्यवहार में लाये जा रहे हैं।

3.3 प्रोत्साहन

- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य हैं

3.3.1 वित्तीय प्रोत्साहन

3.3.1.1 ब्याज उपादान

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु 1.00 करोड़ होगी।

3.3.1.2 स्टाम्प शुल्क

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क़य किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबन्ध सहित शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि 3 वर्षों के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये।

3.3.1.3 विद्युत शुल्क में छूट

- नई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी से शत प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

3.3.1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आई.एस.ओ. 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आई.एस.ओ. 2000, सी.ओ.पी.सी., ई.एस.सी.एम. प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25,00,000/—, अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय-समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

3.3.1.5 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

- परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5 वर्षों तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

3.3.1.6 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान

- रु 100 करोड़ अथवा इससे अधिक का व्यवसाय करने वाली वर्तमान इकाइयों द्वारा यदि 02 वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत अथवा अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजीगत निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाइयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (राज्य अभिकरणों से क़य की गई भूमि पर छूट को छोड़कर) के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान अनुमन्य होगा।

3.3.2 अन्य प्रोत्साहन

3.3.2.1 भूमि हेतु प्राविधान

- सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जायेगी।
- फ्लोर एरिया रेशियो (FAR): आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/ बी.पी.एम. इकाइयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बाई लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।
- ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओओ इकाइयां जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भूमि-उपयोग वर्गीकरण (**Land use classification**) के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू-उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

3.3.2.2 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)

- रु 200 करोड़ रु से अधिक के प्रस्तावित निवेश वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0 प्रौ0 जनित सेवा मेगा निवेश परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों के लिए प्रदेश में 'रेडी टू मूव इन' सुविधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईटी अवस्थापना निजी विकासकर्ता, जिन्हें 10 एकड़ क्षेत्र में या रु 200 करोड़ से अधिक के निवेश से आईटी अवस्थापना विकास का अनुभव है, उन्हें भी पृथक-पृथक प्रकरण के आधार पर प्रदेश के सोपान-2 व सोपान-3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक को आईटी पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। विकासकर्ता को प्रोत्साहन राशि इस शर्त सहित अनुमन्य की जायेगी कि वह फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग आईटी सुविधा के लिए परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए किया जाये।
- उपरोक्त प्रदर्शित प्रोत्साहन सशक्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे।

3.3.3 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

- 25 केवीए से कम क्षमता के विद्युत जनरेटर सेट्स को, सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से मुक्त होंगे।
- विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

- I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
- II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
- III. दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
- IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
- V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
- VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
- VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

3.3.3.1 निर्बाध बिजली आपूर्ति (Uninterrupted Power Supply)

- सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्वतन्त्र फीडर द्वारा पोषित सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को राज्य द्वारा निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जायेगी। फीडर एवं पृथक ट्रॉसमिशन लाइन पर होने वाला व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

3.3.3.2 24 x 7 परिचालन

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे – (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति होगी।

3.3.3.3 औद्योगिक टैरिफ की अनुमन्यता

- सभी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों पर इस नीति की प्रभावी तिथि से औद्योगिक पावर टैरिफ अनुमन्य होंगे।

3.3.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों तथा इन्क्यूबेटर्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन की उपलब्धता (Additional Incentives available to MSME IT/ITeS Units and Incubators)

3.3.4.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक तथा इन्क्यूबेटर्स को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक, रू 10 लाख की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3.3.4.2 विद्युत उपादान

- एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान अथवा रू 30 लाख, जो भी न्यूनतम हो, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

टिप्पणी: किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.3.5 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश" (Start in Uttar Pradesh (START-UP) to promote startups culture & entrepreneurship in Uttar Pradesh)

राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds – Startup Entrepreneurs) मॉडल का उपयोग करते हुए स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स तथा वेन्चर कैपिटल फण्डिंग स्टार्ट-अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- उत्तर प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चरणों में रू 100 करोड़ से एक प्रारम्भिक निधि (Seed fund) बनाई जायेगी। सशक्त समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुरूप, आवश्यकता एवं मापनीयता के आधार पर सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तपोषण किया जायेगा।
- यह निधि, कोष के रूप में होगी। इस मॉडल में, निधि का निवेश स्टार्ट-अप कम्पनियों में सीधे न करके सेबी-अनुमोदित वेन्चर कैपिटल फण्ड/ सेबी-अनुमोदित ऐन्जिल फण्ड अथवा प्रदेश या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान में सूचीबद्ध ऐन्जिल फण्ड में सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। वेन्चर कैपिटल/ऐन्जिल कैपिटल द्वारा निवेशित धनराशि का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध सहित दिया जायेगा कि वित्तपोषण केवल उत्तर प्रदेश आधारित स्टार्ट-अप्स को ही किया जायेगा। इस निधि का पेशेवराना प्रबन्धन (professionally managed), जैसेकि प्राइवेट इक्विटी /वेन्चर फण्ड द्वारा, समिति में अग्रणी उद्योगों तथा निजी निवेशकों तथा राज्य सरकार के सहयोग से किया जायेगा।
- ऋण/ईक्विटी के रूप में स्टार्ट-अप्स से प्राप्त होने वाला प्रतिलाभ, वापस निधि में सम्मिलित किया जायेगा।
- निधि तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोष के प्रबन्धन हेतु एक स्थायी निधि-प्रबन्धक नामित/ नियुक्त किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाई स्टार्ट-अप्स, उत्प्रेरकों तथा मेजबान (Host) संस्थानों के प्रोत्साहन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी नोडल संस्था नामित की जायेगी। इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार से अनुदान चाहने वाले मेजबान संस्थानों को नोडल संस्था के पास अपना पंजीयन कराना होगा। रुचि प्रदर्शित करने वाले संस्थाओं में से इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु मेजबान संस्थानों का चयन सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

स्टार्ट-अप्स द्वारा निम्नलिखित कार्य-क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जायेगा:-

1. मोबाईल एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2. इन्टरनेट से जुड़े कार्य, ई-कॉमर्स, एनीमेशन इत्यादि
3. सोशल मीडिया, मोबिलिटी, एनॉलिटिकल एवं क्लाउड कम्प्यूटिंग (SMAC)
4. सूचना प्रौद्योगिकी एवं बी.पी.एम क्षेत्र में कोई मौलिक परिकल्पना/ प्रौद्योगिकी
5. सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित आई0टी0 से संबंधित अन्य कार्य

3.3.5.1 इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन

- राज्य सरकार द्वारा नये इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यमान इन्क्यूबेटर्स के साथ-साथ, शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थानों/ संस्थाओं/संगठनों में संचालित किया जायेगा।
- प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्ट-अप परितंत्र को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए तकनीकी/ प्रबन्धन/ शोध एवं विकास संस्थानों (आईआईटी/एन.आईटी/ आई.आई.एम./राजकीय इन्जीनियरिंग कालेजों/अन्य शासकीय संस्थानों) जैसे शासकीय/अर्द्धशासकीय मेजबान (Host) संस्थानों में नये इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- मेजबान संस्थानों को रु 25 लाख की अधिकतम सीमा सहित, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जायेगा। यही सीमा वर्तमान क्षमता के दो वर्ष तक विस्तार के प्रतिबन्ध के साथ, मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को भी उनके सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध होगी। मेजबान संस्थानों द्वारा इन्क्यूबेटर्स स्थापित किये जाने हेतु रु. 25 लाख से अधिक धनराशि की माँग पर केस-टू-केस बेसिस पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
- चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा मानदेय के आधार पर 2 लाख रु वार्षिक तक भुगतान पर दो परामर्शदाता/ उपदेशक (mentors), (शैक्षणिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान तथा प्रख्यात औद्योगिक व्यक्ति – प्रत्येक से एक व्यक्ति) नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा।
- इन्क्यूबेटर्स को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रु 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- चयनित इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स को निम्नवत् सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे:—
 - √ कार्यालय स्थान तथा सहभागी प्रशासनिक सेवायें (office space and shared administrative services)
 - √ प्रशिक्षण अथवा उच्च गति इन्टरनेट सम्पर्क जैसी सेवायें (services such as training or High-Speed Internet access)

- √ नेटवर्किंग कार्यकलाप तथा विपणन सहायता (Networking activities and Marketing assistance)
- √ उच्च शैक्षणिक संसाधनों से सम्पर्क (Links to higher education resources)

3.3.5.2 कॉर्पस निधि के प्रबन्धन हेतु निधि प्रबन्धन समिति की स्थापना :

कॉर्पस निधि प्रबन्धन समिति का गठन निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

- निधियों प्राप्त करने हेतु सुपात्र स्टार्ट-अप्स के चयन हेतु
- प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप्स को दी जाने वाली धनराशि सुलभ ऋण/इक्विटी के रूप में निर्धारित करते हुये, धनराशि का निर्धारण निम्न प्रक्रियानुसार:-

परिकल्पना/प्रतिकृति स्तर (Idea/Prototype Stage):

जिस स्टार्ट-अप की परियोजना को नोडल संस्था द्वारा संस्तुत तथा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, उसे एक वर्ष की अवधि तक रू 15,000/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।

प्रायोगिक स्तर (Pilot Stage):

स्टार्ट-अप द्वारा किसी ज्ञात एवं पंजीकृत एन्जेल इनवेस्टर/वेन्चर फण्ड/प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तपोषण सुनिश्चित कर लेने के बाद, स्टार्ट-अप को वास्तविक लागत अथवा रू 10 लाख जो भी कम हो, विपणन/व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए, अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा की शर्त सहित, तीन चरणों में प्रदान की जायेगी।

- चयनित स्टार्ट-अप के कार्य-सम्पादन तथा निधियों के उपयोग का अनुश्रवण
- सशक्त समिति को कॉर्पस की स्थिति के बारे में त्रैमासिक आधार पर सूचना हेतु एम.आई.एस. प्रस्तुत करना
- इन्क्यूबेटर्स में संचालित स्टार्ट-अप्स को 06 माह के अन्दर तथा प्रोत्साहन लेने से पूर्व स्टार्ट-अप को कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।

कार्पस निधि प्रबन्धन समिति:

कार्पस निधि का प्रबन्धन आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नामिती की अध्यक्षता में कार्पस निधि प्रबन्धन समिति द्वारा पेशेवराना रूप से किया जायेगा।

समिति की प्रस्तावित संरचना निम्नवत् होगी:

- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि
- वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि
- मेजबान (Host)संस्थान/टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर के प्रमुख
- बैंकर/वेन्चर कैपिटल के प्रतिनिधि
- शैक्षणिक एवं औद्योगिक क्षेत्र से विशेषज्ञ
- एक सफल उद्यमी
- निधि प्रबन्धक

टिप्पणी:नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन उसी दशा में स्टार्ट-अप्स पर लागू होंगे जब उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली इकाई इन्क्यूबेट और परिपक्व होने लगेगी।

3.3.6 ब्रॉण्डिंग तथा व्यापार प्रोत्साहन सहायता

- अग्रणी उद्योगों तथा उद्योग संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों/सम्मलेनों/प्रदर्शनियों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभाग किये जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रचारित किया जायेगा।
- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में अवस्थित प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनी को विभाग में उसका पंजीयन हो जाने पर एक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

3.4 उद्योग को सुगमता

3.4.1 नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit)

प्रदेश में यूपीएलसी द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का गठन किया जायेगा जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जायेंगे तथा बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे।

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) की प्रमुख गतिविधियाँ (Key Activities) होंगी:—

- सम्भावित निवेशकों हेतु एस्कॉर्ट सेवायें (Escort Services to potential investors)
- समस्त सूचना प्रौद्योगिकी निवेश/प्रस्तावों तथा परियोजना प्रस्तावकों हेतु एकल सम्पर्क स्रोत (Single Point of Contact)
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 का विपणन (marketing)
- शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison)
- एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance) व्यवस्था का कार्यान्वयन
- नीति कार्यान्वयन योजना में सहायता
- उद्योगों तथा उद्योग-संघों से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations)
- सशक्त समिति (Empowered Committee) के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास
- यथा-आवश्यकता, कार्यों की आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति पर निर्णय

3.4.2 एकल खिड़की निस्तारण सहायता (Single Window Clearance & Facilitation)

- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी निकाय (Government body) – नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का गठन किया जायेगा जो उद्यमियों (entrepreneurs) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सांविधिक (statutory) मामलों के समयबद्ध रूप से निस्तारण में सुगमता और प्रभावी रूप से सहायता करेगी।
- नीति कार्यान्वयन इकाई समयबद्ध रूप से अन्य अवरोधों के निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगी। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान अथवा अवरोध का निवारण नहीं हो पाता है तो मामला स्वतः (automatically escalate) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और उसके पश्चात (एक निश्चित अन्तराल के बाद) सशक्त समिति के संज्ञान में आ जायेगा। स्वीकृतियों की आवधिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

3.4.3 सशक्त समिति (Empowered Committee)

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की एक सशक्त समिति सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रगति पर दृष्टि रखेगी और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुपालन का अनुश्रवण

करेगी। इस समिति में अन्य सहित कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, लघु-उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आवास एवं नगर विकास विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) होगा :-

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स-समय जारी कर दिया जाये।
- नीति के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/ मेगा निवेश इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति
- विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं (Projects), उनके प्रारूप (framework)/ कार्यान्वयन-विधि (modalities of implementation) तथा सेन्ट्रल पूल (central pool) से धनराशि उपलब्धता की स्वीकृति
- इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना
- प्रमुख संकेतकों (Key Indicators) पर आँकड़ों के आधार पर सू0प्रौ0 नीति के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन (evaluation) तथा सभी स्तरों पर क्रियान्वयन (implementation) से सम्बन्धित बिन्दुओं का समाधान (resolve)

यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवकमित करती है।

4. शब्दावली (Glossary)

1. "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हाडवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों/ कम्पनियाँ इत्यादि। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीशेन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से आशय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/ परामर्श/ 'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा ज्ञान-आधारित उद्योग (knowledge industry based) जैसे नैनो टेक्नोलॉजी (Nano Technologies), टेलीकम्युनिकेशन्स (टेली -सम्प्रेषण) आदि।
2. सॉफ्टवेयर सेवाओं में निहित है :-
 - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
 - प्रचालन विधि - Operating System

- 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
 - उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
 - इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
 - प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
 - सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवं SCM कार्य
 - विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)
3. 'सूचना प्रौद्योगिकी' – इनका आशय उन सेवाओं से है जो सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती हैं और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हो जाती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:-

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
 - विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
 - इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवायें
 - वीडियो कान्फ्रेंसिंग
 - वी-सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
 - इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप
4. सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:-

- बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Management)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:-
 - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
 - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
 - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
 - एम0आर0एम0 – (Marketing Resources Management)
 - तकनीकी सहायता (Technical Support)
 - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
 - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
 - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

5. नगरों का वर्गीकरण (Classification):-

सोपान -1 (Tier I) : नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान -2, 3 (Tier II & III): यथा लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर विशेषतया यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र सहित

सोपान -3 (Tier III) : 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

6. मेगा परियोजनायें (Mega Projects) : रु 200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

7. एम.एस.एम.ई. (MSME) ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयाँ जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

8. सरकारी अभिकरण (State Agencies)

- विकास प्राधिकरण (Development Agencies)
- आवास परिषद (Housing Boards)
- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण - LIDA (Lucknow Industrial Development Authority)
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)
- सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण

9. स्टार्ट-अप (Start-Up) एक ऐसी संस्था (entity) से है जो किसी नवाचार पर आधारित (innovation) व्यवसायिक मॉड्यूल का विकास करती है और उसे व्यवसायिक सफलता अर्जित करने योग्य (scalable) बनाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

इनके साथ

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में

पता 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

दूरभाष नं0 : 0522-2286808, 2286809, 2286812, 0522.4130303

ई-मेल: info@itpolicyup.gov.in/ uplclko@gmail.com

ध्यानकर्षण:

यह Uttar Pradesh Information Technology & Start-up Policy 2016 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रूपान्तरण है। अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।